

चन्दा देवी बगैरुध वनाम प्रकारा चन्द्र बगैरुध


वाड धारा 88, 188, 209 RTA

प्रकरण संख्या 11 / 2

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम ज इस हुक्म की तामीत में जारी हुए।</p>
--------------------	---	--


24/3/17

पत्रावली बाद् जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी शीमरी चन्दा देवी पिता उज्जिनकर जाति गुज निवासी पान्छोडा ने अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी प्रकाश चन्द्र पिता उज्जिनकर निवासी पान्छोडा के विरुद्ध वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी होकर प्रत्रावली दिनांक 1-3-17 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

**न्याय आपके द्वार अभियान-2017**

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार नू हाजिर है, पत्रावली राजस्व लोक अदालत कम्प पान्छोडा दि. 12/6/17 को वास्ते राजीनामा / तलवी पेश हो

  
उपखण्ड अधिकारी  
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

12/6/17

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कम्प पान्छोडा से पेश हुई। राजीनामा गरी केसका पत्रावली की तलवी अदक तलवी पेश हुई। प्रोडक्सीम के वास्ते तलवी शेफ दिनांक 14/8/17 को पेश हो।



14/8/17

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कम्प पान्छोडा से पेश हुई। राजीनामा गरी केसका पत्रावली वास्ते तलवी शेफ दिनांक 14/8/17 को पेश हो।



14/8/17

पत्रावली

